



R 430 - I 17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वाला।

पक्षकार -

श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता श्री कमल सिंह मरकाम जाति गौड
(आदिवासी)
निवासी-ग्राम दुंगरिया थाना बरगी तह. व जिला जबलपुर

विरुद्ध -


- अनावेदक -
24/11/17
- श्री मेसर्स V.K.सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड
पता-जी-21, जयंती कॉम्प्लेक्स, मढाताल, जबलपुर
द्वारा डायरेक्टर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता
(गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विंग बाजार के
पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर
 - म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(प्रम.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 23/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(प्र.) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता श्री कमल सिंह मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम दुंगरिया थाना बरगी तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम सोहड प.ह.न. 64 रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 398 रकवा 1.760 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री मेसर्स V.K.सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड पता-जी-21, जयंती कॉम्प्लेक्स, मढाताल, जबलपुर द्वारा डायरेक्टर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता (गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विंग बाजार के पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03/11/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सोहड, ग्राम बरहटी, ग्राम झिरिया एवं ग्राम भैसवाही में 4.640 है. यानि की 11 एकड 60 डिसमिल भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

24 JAN 2017

Rajeev



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 430-एक/17

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१-२-१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 9-1-17 के विलङ्घ म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 9-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम सोहड़ प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 398 रक्का 1.76 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक - 1/गैर आदिम</p>	

P.J.R.

R-430. I/17

कार्यवाही तथा आदेश

स्थान तथा
दिनांकपक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि के
हस्ताक्षर

जनजाति सदस्य को विकाय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा हत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकाय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वर्गित भूमियां हैं शासन से प्राप्त भूमियां नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विकाय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 4.640 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाडन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकाय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वतंत्र की प्रश्नाधीन भूमियों को विकाय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वतंत्र की ग्राम सोहड़ प.ह.नं. 64 दा. नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर दिखत भूमि खसरा नंबर 398 एकड़ा 1.76 हेक्टर को प्रत्यर्थी कं0 -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विकाय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विकाय करने

रमेश प्रसाद मरकाम विल्ड श्री मे. वी.के.सिंहरिटी आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, बबालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 430-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाहड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाहड लाइन की मान से किया जायेगा।</p> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>(Signature)</i> (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, बबालियर</p> <p><i>JK</i></p>	